(ii) *Provident Fund Coverage* : The wage ceiling for coverage under the EPF Scheme has been raised from Rs. 3500/- to Rs. 5000/- p.m. with effect from 1-10 94.

(iii) *EPF rate for Cotton Textile Industry:* The Government has enhanced the rate of PF Contribution from 8.33 per cent to 10 per cent in respect of the Cotton Textile Industry with effect from 1-9-94.

(iv) *Labour Cell in Planning Commission:* A Labour Cell in the Planning Commission has already been constituted.

(v) *DA Slabs in PSUs*: The Government has accepted the recommendations made by the Tripartite D.A. Committee on 23 7-94. The Government have also accepted in principle introduction of a slab system of D.A. in Public Enterprises from 1992. Approval of the competent Authority is being obtained to implement it.

(vi) *Pension Scheme*: A Bill has been introduced in Rajya Sabha for amending the EPF & MP Act, 1952 to enable creation of a Pension Scheme. The some has been referred to the Ministry related Parliamentary Standing Committee.

(vii) *Revival of Sick Units*: A special Tripartite Committee and six Industrial Tripartite Committees constituted by Ministry of Labour are involved in examination/discussion on industrial sickness, restructuring etc.

The remaining demands are in advanced stage of consideration.

Non-payment of EPF by M/s Saran Engg. Co. Limited Kanpur

7672. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Regional Provident Fund Office in Uttar Pradesh has obtained information about non-payment of employees provident fund accounts by the Saran Engineering Company Limited, Kanpur;

(b) whhether it is a fact that the management has not been paying the salaries and wages of the staff and workers of the company for the past three years or so without declarings a lock out; and

(c) what immediate action is being contemplated?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The management is reported to have not paid wages to the staff of Head Office, Kanpur since September, 1993. As per information available the establishment which has been registered as a sick unit has been recommended by the BIFR for being wound up. Under the circumstances immediate coercive action against the establishment for recovery of PF dues is not possible.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लाभ भोगियों को देय राशियों का भगतान करने में विलंब

7673. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने लाभान्वित सदस्यों को भुगतान करने में काफी देर करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है जो इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार है ; और

(ग) सरकार ने शीघ्र भुगतान कर हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सभी रूप से सही पाये गये भुगतान दावों को यथासमय निपटाया जा रहा है । अतः इस संबंध में कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) विवादों के त्वरित निपटान हेतु कर्मचारी बीमा न्यायालय और चिकित्सा अपील अधिकरण स्थापित किये गये है। इस संबंध में शिकायतों को मानीटर/निपटाने हेतु शिकायत अधिकारी भी नामांकित किये गये हैं ।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रो में विकलांगो के वृत्तिका (स्टाइपेंड)

7674. **डा० रणधीर सिंह :**
श्री रामनाथ कोविन्द

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में विकलांगों को वृत्तिका देने के वर्ष 1991 व इसके बाद हर साल कई लाख रुपये मंजूर किए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी राशि का तीन महीने या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्ण उपयोग कर लेना चाहिये अन्यथा इस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई केन्द्रों में और विशेषतया गुवाहाटी में ऐसी राशि उपयोग में नहीं लाई गई ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से आगे वृत्तिका की कितनी-कितनी रकम का प्रयोग गुवाहाटी में नहीं किया जा सका तथा इसमें कब-कब खर्च किया गया ?

श्री मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) कल्याण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के व्यावसयिक पुनर्वास केन्द्रों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत 1990-1991-92 तथा 1992-93 के वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इन-प्लाट प्रशिक्षुओं को वृत्तिका का भुगतान करने हेतु इन वर्षों में क्रमशः 32.00 लाख रु०, 31.23 लाख रु० तथा 31.23 लाख रु० रिलीज किए थे । 1993-94 के पश्चात्, कल्याण मंत्रालय के बजट में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा इस प्रकार जारी की गई निधियों का संगत वित्तीय वर्ष उपयोग किया जाना था तथा शेष धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सम्बद्ध वेतन तथा लेखा अधिकारी को वापिस लौटा दिया जाना चाहिए था।

(ग) तथा (घ) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र गुवाहाटी को छोड़कर अधिकांश व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र सामान्यतः निधियों के उपयोग तथा अप्रयुक्त निधियों को वापिस करने संबंधी मामलों में कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र गुवाहाटी को जारी की गई निधियों, प्रयुक्त निधियां तथा बाद के वर्षों में उपयोग हेतु आगे ले जाई जाने वाली अप्रयुक्त निधियों संबंधी सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	आगे ले जाई गई राशि
1	2	3	4
1990–91 .	1,35,340 रु०	1,13,618 रु०	21,722 रु०*
1991–92 .	1,10,000 रु०	1,31,722 रु०**	शून्य
1992–93 .	2,23,000 रु०	2,14,648 रु०	08,352 रु०

*इसमें 1989–90 की 340 रु० की अप्रयुक्त धनराशि शामिल है ।

**इसमें 1990–91 की 21,722 रु० की अप्रयुक्त धनराशि शामिल है ।